Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Visit/CP/CG/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 6th, July, 2017

To,

1 The Principal Secretary,
Tribal Development Department,
Govt. of Chhattisgarh,
Raipur(Chhattisgarh)

2 The Secretary,
Panchayat & Rural Development Department,
Govt. of Chhattisgarh
Mahanadi Bhavan
Mantralaya, Naya Raipur
(Chhattisgarh)

Sub: Tour Report of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Chhattisgarh State on 23.05.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of tour report of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST to visit Chhattisgarh State on 23.05.2017 for information and necessary action.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The District Collector, District-Raipur (Chhattisgarh).
2. Assistant Director, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Raipur, R-26, Avanti Vihar, Sector-2, Post Ravigaram, Raipur-492006 (Chhattisgarh)
3. NIC, NCST upload on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23.05.2017 को आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत्त।

श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली ने दिनांक 23.05.2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे न्यू सर्किट हाउस, रायपुर के सभा कक्ष में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छ.ग. शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयोग की ओर से श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक, श्री आर.के. दुबे सहायक निदेशक एवं श्री पी.के. दास, वरिष्ठ अन्वेषक सम्मिलित थे। राज्य सरकार की ओर से श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, सचिव व आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, आयुक्त, पंचायत, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के उपायुक्त तथा राज्य के विभिन्न जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मौजूद थे।

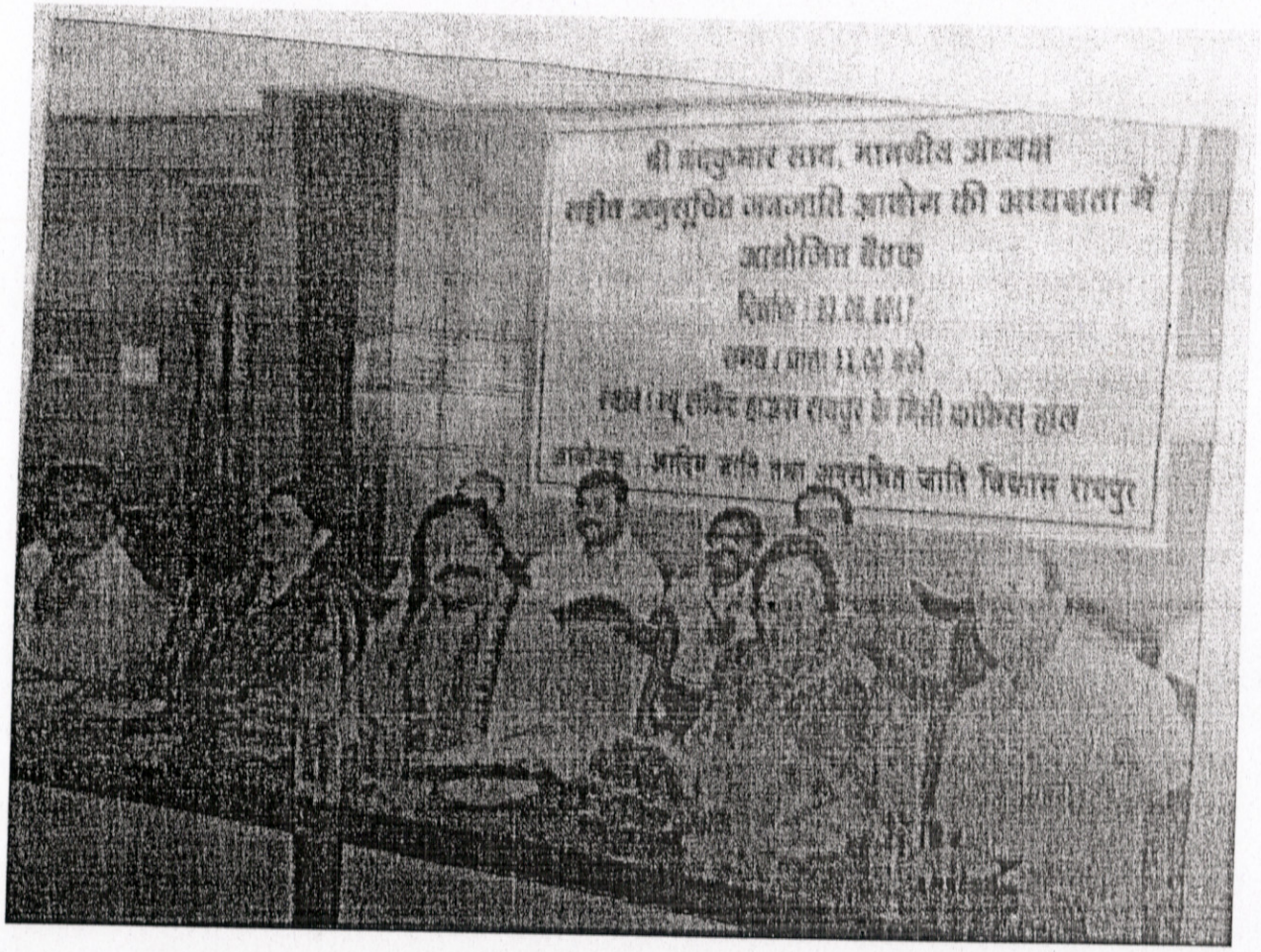

बैठक में चर्चा करते श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

23.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्री नंदकुमार साय, माननीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में
आयोजित बैठक
दिनांक : 23.06.2017
समय : प्रातः 11.00 बजे
स्थान : न्यू सर्किट हाऊस रायपुर के मिनी कांफ्रेंस हाल
आयोजक : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर

बैठक के प्रारंभ में सचिव व आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं निदेशक का स्वागत किया। माननीय अध्यक्ष ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग व पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु किए जा रहे उपायों और अनुसूचित क्षेत्रों में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उन्होंने सर्वप्रथम आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो पावर पॉईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से की गई। आयोग को निम्नानुसार जानकारी दी गईः

1. छत्तीसगढ़ राज्य का गठन दिनांक 1 नवम्बर, 2000 को किया गया है जिसका क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग कि.मी. है और जनसंख्या 255.45 लाख (2011 की जनगणना के अनुसार) है। राज्य का 44 प्रतिशत वनाच्छादित है। कुल जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 12.81 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग का है एवं 42.52 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करती है। लैंगिक अनुपात 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 27 जिले, 149 तहसीलें एवं 146 विकास खण्ड हैं जिनमें से 85 आदिवासी विकास खण्ड हैं। राज्य में 9,734 पंचायतें एवं 20,279 ग्राम हैं। राज्य में प्रचुर खनिज सम्पदा एवं धान की खेती के लिए उपयुक्त भूमि है। साथ ही मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता भी है। राज्य का 60.58 प्रतिशत क्षेत्रफल अनुसूचित क्षेत्र और 65.12 प्रतिशत क्षेत्रफल आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है। राज्य में 42 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है जिनमें से 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं।
2. राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संस्थागत व्यवस्था की गई है जिसमें आदिवासी उपयोजना की अवधारणा को लागु करने के लिए सर्वसंबंधित विभागों को उत्तरदायित्व दिया गया है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु सभी संबंधित विभागो की योजनाएं हैं एवं बजट में भी प्रावधान किया गया है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु बजट में पृथक मांग संख्या का प्रावधान है एवं यह बजट अहस्तांतरणीय है। राज्य में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, 9 माडा, 2 क्लस्टर, 6 पी.वी.टी.जी. अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु क्षेत्रीय (SECTORAL) पहल के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थय एवं समाज कल्याण, सामाजिक–सांस्कृतिक विकास, आर्थिक उत्थान एवं आजिविका संवर्धन, मूलभूत सुविधाएं, पेसा एवं एफ.आर.ए. जैसे अधिनियमों का क्रियान्वयन तथा राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष पहल सम्मिलित हैं।
3. जहां तक राज्य में पेसा अधिनियम के विस्तार का प्रश्न है, कुल 13 जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी निवासरत है जबकि कुल आबादी का 30.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। 5 विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं जो कि, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार एवं अबूझमाड़िया हैं। राज्य में कुल 9,734 पंचायतें हैं जिनमें से 4,510 (46.32 प्रतिशत) पेसा क्षेत्र की पंचायतें हैं। राज्य में कुल ग्रामों की संख्या 20,126 है जिनमें से 9,977 (49.57 प्रतिशत) पेसा क्षेत्र के ग्राम हैं। पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं, उनमें जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत के सरपंच के पदों पर 100 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात में

12.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सदस्यों का आरक्षण, कुल निर्वाचित सदस्यों में से 55 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करना शामिल हैं। ग्राम पंचायतों को भूमि के अविवादित नामंतरण का अधिकार दिया गया है एवं भू–अर्जन हेतु ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को गौण खनिजों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। उन्हें मादक द्रव्यों के विक्रय व उपभोग को प्रतिबंधित या विनियमित करने का अधिकार भी दिया गया है।

4. वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य सरकार ने काफी कार्य किया है। मार्च, 2017 की स्थिति में कुल प्राप्त व्यक्तिगत आवेदनों की संख्या 8,51,744 थी जिनमें से 3,79,556 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं और वितरित भूमि का रकबा 3.29 लाख हेक्टेयर है। सामुदायिक वन अधिकारों के 26,843 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 13,294 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए। कुल वितरित सामुदायिक वन अधिकार पत्र की भूमि का रकबा 5.78 लाख हेक्टेयर है। वन अधिकार पत्र धारकों को 63,000 इंदिरा आवास स्वीकृत किए गए है। मनरेगा के तहत भूमि समतलीकरण से लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 68,000 है। 431 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया है।

5. राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र हेतु विशेष पहल करते हुए बस्तर एवं सरगुजा संभाग के 12 जिलों में तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के भर्ती नियम में संशोधन किया गया है और तृतीय श्रेणी के 4,677 एवं चतुर्थ श्रेणी के 3,916 पदों पर स्थानीय निवासियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित कुल पदों में से 20 प्रतिशत विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए आरक्षण करते हुए कुल 1,672 विशेष पिछली जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इन्हें शिक्षक बनने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता से भी छूट दी गई है। राज्यपाल की शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 6 (2) को संशोधित कर निरस्त किए गए आवेदन को स्वयमेव पुनरीक्षण का अधिकार भी दिया गया है।

6. राज्य की कुल आयोजना में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंश एवं व्यय के विवरण की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजातियों की आबादी के अनुपात से अधिक राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु दी जा रही है। वर्ष 2014–15 में राज्य की कुल आयोजना रु. 26,615.00 करोड़ थी जबकि व्यय 26,473.99 करोड़ रु. का था इसमें आदिवासी उपयोजना हेतु निर्धारित राशि 9,518.57 करोड़ थी जबकि व्यय 9,416.59 करोड़ रुपये था। वर्ष 2015–16 में राज्य की कुल आयोजना रु. 29,753.15 करोड़ थी जबकि व्यय 31,987.51 करोड़ रु. का था इसमें आदिवासी उपयोजना हेतु निर्धारित राशि 10,513.42 करोड़ थी जबकि व्यय 10,066.46 करोड़ रुपये था। वर्ष 2016–17 में राज्य की कुल आयोजना रु. 34,715.45 करोड़ थी जबकि व्यय 23,643.10 करोड़ रु. (दिसम्बर 2016 तक) का था इसमें आदिवासी उपयोजना हेतु निर्धारित राशि 11,500.34 करोड़ थी जबकि व्यय 7,489.77 करोड़ रुपये (दिसम्बर 2016 तक) था।

7. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से वर्ष 2014–15 में राज्य सरकार को रु. 9,826.50 लाख की राशि आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुई जबकि संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत 10,778 लाख रु. एवं सी.सी.डी. प्लान में रु. 2,212 लाख की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार को रु. 11,908.64 लाख की राशि आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुई जबकि संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत 11,904.31 लाख रु. एवं सी.सी.डी. प्लान में रु. 1,809.63

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

लाख की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2016–17 में राज्य सरकार को रु. 11,717.82 लाख की राशि आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुई जबकि संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत 10,488.52 लाख रु. एवं सी.सी.डी. प्लान में रु. 1,230.00 लाख की राशि प्राप्त हुई। आदिवासी उपयोजना की विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत कमिटेड लायबिलिटी की वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार को 5 परियोजनाओं हेतु रु. 3,078.00 लाख की राशि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होनी है। संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अधोसंरचनात्मक कार्यों सहित 9 परियोजनाओं हेतु कमिटेड लायबिलिटी के रूप में रु. 63,561.82 लाख की राशि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होनी है।

8. विशेष पिछड़ी जनजातियों के समेकित विकास हेतु राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 11 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित पंडो एवं भुंजिया जनजातियों के समेकित विकास का 11 सूत्रीय लक्ष्य वर्ष 2018 तक प्राप्त किया जाना है। इसमें राज्य सरकार के बजट से आवासहीन परिवारों के लिए आवास, पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता, विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, 0–6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती, धात्री माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना, कौशल उन्नयन, सामाजिक सुरक्षा, वन अधिकार पत्रों का वितरण, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदाय, सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छाता एवं 2 नग कम्बल प्रदाय किया जाना है। जहां तक 11 सूत्रीय कार्यक्रम की बिन्दुवार प्रगति का प्रश्न है, आवास योजना अंतर्गत कुल 44,331 परिवारों में से अब तक 26,806 परिवारों (60.50 प्रतिशत) को लाभ दिया गया है। 1594 पेयजल विहीन ग्रामों (75.65 प्रतिशत) में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गई है। 1202 विद्युत विहीन ग्रामों (55.65 प्रतिशत) में विद्युतीकरण किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत 22,400 से अधिक हितग्राहियों के स्मार्ट कार्ड बनाये गए। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 41,200 से अधिक परिवारों (92.94 प्रतिशत) को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। 0–6 वर्ष के 42,250 से अधिक बच्चों तथा 9,350 से अधिक माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 5,442 हितग्राहियों को कौशल उन्नयन के तहत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। समाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जनधन योजना में 11,500 से अधिक खाते खुलवाये गए हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत 9,450 से अधिक हितग्राहियों को कवरेज प्रदान किया गया है। 15,650 से अधिक हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। 5,950 से अधिक हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र दिया गया है। 24,550 से अधिक परिवारों को प्रति परिवार 2 नग की दर से 49,100 नग कम्बल प्रदाय किए गए है। वर्ष 2016–17 के मुख्य बजट में रेडियो तथा छाता वितरण हेतु राशि रु. 435.000 लाख का बजट प्रावधान किया गया है एवं अब तक 5,800 से अधिक हितग्राहियों को रेडियों तथा छाता वितरण किया जा चुका है।

9. राज्य के 27 जिलों में से 16 जिले नक्सल प्रभावित है जिनमें से 7 बस्तर संभाग, 4 सरगुजा संभाग, 2 दुर्ग संभाग एवं 3 रायपुर संभाग के हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शैक्षणिक व आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्रावास/आश्रमों का संचालन किया जा रहा है जिनमें विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, पलंग, चादर, कम्बल एवं अन्य सामाग्रियां तथा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के 1288 प्री मैट्रिक, 301 पोस्ट मैट्रिक

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

एवं 1175 आश्रम संचालित हैं जिनकी कुल संख्या 2764 है। इनमें 1,62,692 सीटें स्वीकृत हैं। 2016–17 तक कुल 276 में से 235 छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 19 निर्माणाधीन हैं, 09 का निर्माण निरस्त किया गया है एवं 13 का निर्माण अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है। वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 13 कन्या छात्रावास भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है और कार्य एजेंसी का निर्धारण भी किया जा चुका है। इन कार्यों में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल 11,457.55 लाख रु. एवं राज्य सरकार द्वारा 4,784.57 लाख रु. व्यय किया गया है। प्री मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है वर्ष 2017–18 में इसमें 50 रु. प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए इसे 900 रु. प्रतिमाह किया गया है। अनुसूचित जनजाति की शासकीय एवं अनुदान प्राप्त 1370 संस्थाओं के 64,237 छात्रों को 5,271.44 लाख रु. प्रदाय किए गए है। जबकि अनुसूचित जनजाति आश्रमों में इसी प्रकार की 1266 संस्थाओं के 74,827 छात्रों को 6,191.45 लाख रु. प्रदाय किए गए है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के विद्यार्थियों के भोजन के लिए सहाय योजना राज्य सरकार के द्वारा संचालित है जिसमें प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह रु. 500 उपलब्ध कराया जाता है जो पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।

10. राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना भी संचालित है जिसमें औषधालय विहीन क्षेत्रों के छात्रावासों/आश्रमों में माह में 2 बार विद्यार्थियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा छात्रावास/आश्रमों के सुचारू संचालन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से ऑनलाईन निरीक्षण हेतु वेब एप्लीकेशन वर्ष 2012–13 में तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से संस्थाओं का निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी ऑनलाईन तैयार किया जाता है। छात्रावासी विद्यार्थियों को कठिन विषयों को पढ़ाने की सुविधा भी दी जा रही है तथा छात्रावास/आश्रमों का आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण कराया जाता है। अब तक 42 छात्रावासों/आश्रमों का आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणीकरण कराया जा चुका है जिसमें से 35 छात्रावास/आश्रम अनुसूचित जनजाति के हैं। विभाग अंतर्गत संचालित 3273 छात्रावासों/आश्रमों में से 1400 को आदर्श छात्रावास/आश्रम के रूप में तैयार किया गया है जिनमें उत्कृष्ट भोजनालय, शौचालय, सीमेंट की पलंग, आर.ओ. का पेयजल आदि उपलब्ध कराया गया है। नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए वर्ष 2010 में मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत रायपुर में 300 सीटर बालक प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई तथा बाद में अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में भी बालक तथा बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिनमें वर्तमान में 1448 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। गत वर्ष कांकेर में भी 200 सीटर फीडर प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना जिला मुख्यालय में की गई है जिसमें 500 बालक एवं 49 बालिकाएं अध्ययनरत है। इन आवासीय विद्यालयों के बहुत से छात्र आई. आई.टी., एन.आई.टी., पी.एम.टी., इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयनित हुए हैं।

11. राज्य सरकार की निष्ठा योजना के अंतर्गत नक्सल हिंसा में मृत माता–पिता के बच्चे, पीड़ित परिवार/ग्राम/क्षेत्र के बच्चे प्रदेश के राजनांदगांव जिले में निजी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं एवं राज्य शासन द्वारा इन संस्थाओं के प्रबंधन से चर्चा करके विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाता है। जिला प्रशासन की अनुशंसा पर विद्यार्थी पर हुए कुल व्यय के 25 प्रतिशत शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति इन संस्थाओं को की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत 157 बच्चे रायपुर एवं राजनांदगांव की 17 निजी संस्थाओं में अध्ययनरत हैं।

21.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

12. राज्य में 16 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं और वर्ष 2017–18 में 09 विद्यालय और स्वीकृत किए गए हैं। इनमें कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 4860 है जिनमें वर्तमान में कुल 4372 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इन विद्यालयो में वर्ष 2015–16 में 10वीं कक्षा में 451 एवं 12वीं कक्षा में 281 विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिनमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 98 एवं 95 है। वर्ष 2016–17 में 10वीं कक्षा में 484 एवं 12वीं कक्षा में 332 विद्यार्थी सम्मिलित हुए जिनमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 96.3 एवं 98 है। राज्य सरकार द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जातियों विद्यार्थी उत्कर्ष योजना भी संचालित है जिसमें इन वर्गों के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को कक्षा 6वीं एवं 9वीं में उत्कृष्ट माप दण्ड वाले निजी संस्थाओं में निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदाय की जाती है। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं उच्च शिक्षा हेतु नई दिल्ली आकर कोचिंग/उच्च अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्रों हेतु ट्रायबल यूथ हॉस्टल, द्वारका, नई दिल्ली में वर्ष 2013–14 से संचालित हैं तथा कई विद्यार्थी उच्च पदों पर चयनित हुए हैं। वर्ष 2015 में 20 एवं वर्ष 2016 में 12 विद्यार्थियों का चयन उच्च पदों पर हुआ है।
13. आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एंव श्रद्धा स्थलों के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित है। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु प्रति देवगुड़ी राशि रु. 50,000/– उपलब्ध करायी जाती है। अब तक 2600 से अधिक देवगुड़ी का निर्माण एवं मरम्मत किया जा चुका है। यह कार्य संबंधित समुदाय की सलाह एवं मार्गदर्शन में ही किया जाता है जिसमें चबूतरा निर्माण, पूजा स्थल का विस्तार, भवन पर छत डालना तथा बाउंड्री वाल बनाना शामिल हैं। इस वर्ष से देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु राशि बढ़ाकर 1,00,000 रु. कर दी गई है। इसी प्रकार आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल 10,000 रु. दिये जाने का प्रावधान है। अब तक 4100 से अधिक दलों को सहायता प्रदाय की जा चुकी है। इस वर्ष यह राशि भी बढ़ाकर 20,000 रु. कर दी गई है।
14. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वर्ष 2014 में कुल 321 प्रकरण दर्ज हुए थे जबकि 2015 में 366 और 2016 में 404 प्रकरण दर्ज हुए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है जिनकी संख्या वर्ष 2014 में 107, 2015 में 136 और 2016 में बढ़कर 158 हो गई है। राज्य सरकार पुलिस के साथ मिलकर इन अपराधों में कमी लाने के उपायों पर कार्य कर रही हैं। राज्य में इन वर्गों के प्रति सुनियोजित अत्याचार नहीं होता है और राज्य में अत्याचार प्रभावित/संभावित इलाके भी नहीं है।
15. जहां तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों के निराकरण का प्रश्न है, वर्ष 2014 में दर्ज कुल 321 मामलों में से 320 की विवेचना की गई, 01 में खात्मा, 02 में खारजी, 311 में न्यायालय में चालान दाखिल किया गया जबकि सजा 28 मामलों में हुई और 84 मामलों में अभियुक्तों को दोष मुक्त कर रिहा किया गया। 199 मामलें अदालत में एवं 6 मामलें पुलिस में लंबित हैं जबकि 1 मामला स्थानांतरित किया गया है। वर्ष 2015 में दर्ज कुल 366 मामलों में से 364 की विवेचना की गई, 01 में खात्मा, निरंक में खारजी, 334 में न्यायालय में चालान दाखिल किया गया जबकि सजा 07 मामलों में हुई और 15 मामलों में अभियुक्तों को दोष मुक्त कर रिहा किया गया। 312 मामलें अदालत में एवं 29 मामलें पुलिस में लंबित हैं जबकि 02 मामला स्थानांतरित किया गया है। वर्ष

27.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2016 में दर्ज कुल 404 मामलों में से 403 की विवेचना की गई, 01 में खात्मा, 02 में खारजी, 288 में न्यायालय में चालान दाखिल किया गया जबकि सजा 02 मामलों में हुई और 19 मामलों में अभियुक्तों को दोष मुक्त कर रिहा किया गया। 267 मामलें अदालत में एवं 112 मामलें पुलिस में लंबित हैं जबकि 01 मामला स्थानांतरित किया गया है।

16. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वर्ष 2014–15 में रु. 188.16 लाख की राशि व्यय की गई जबकि भौतिक उपलब्धि 340 थी। वर्ष 2015–16 में रु. 85.95 लाख की राशि व्यय की गई जबकि भौतिक उपलब्धि 291 थी। वर्ष 2016–17 में रु. 133.36 लाख की राशि व्यय की गई जबकि भौतिक उपलब्धि 170 थी।

उपरोक्त पावर पॉईंट प्रेजेन्टेशन के बाद आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंद कुमार साय ने राज्य सरकार के अधिकारियों से उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं पर पूरक जानकारी भी चाही। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई बिन्दु परिलक्षित हुये:

(i) राज्य का गठन हुये लगभग 17 वर्ष हो गये हैं और अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य में इन वर्गो की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होना चाहिए था। विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा का प्रसार है और राज्य सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा देने पर सर्वाधिक जोर देना चाहिए। केवल कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की ही तैनाती होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शिक्षण गुणवत्ता अभियान चलाया जा रहा है और विद्यालयों की ग्रेडिंग की जा रही है तथापि आदिवासी बहुल जिलों के अंदरूनी इलाकों में भी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

(ii) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित जिलों में शिक्षण व्यवस्था आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग से लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को दे दी गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के पास केवल आवासीय, आदर्श, एकलव्य एवं प्रयास विद्यालय/छात्रावास रह गये हैं। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षकों के युक्त–युक्तीकरण तथा एक ही स्थान पर दोनों विभागों के स्कूल होने की स्थिति से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कुछ अधिकारियों ने इस निर्णय को लेकर उत्पन्न हुई समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। यह प्रस्ताव किस विभाग का था और इस निर्णय पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग का क्या नजरिया था, यह जानकारी दी जाए। विभाग को यह अध्ययन भी करना चाहिए कि इस निर्णय से विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता और परीक्षा परिणामों पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या स्थिति खराब हुई है। इस बारे में आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट दी जाए।

(iii) विभाग को यह भी देखना चाहिए कि कक्षा 8वीं तक सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के निर्णय से बच्चों के ज्ञान अर्जित करने की प्रवृत्ति में कमी तो नहीं आई है क्योंकि परीक्षा होने पर ही बच्चे लगन से पढ़ते हैं। इससे उनके भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है और पढ़ाई के प्रति वे अगंभीर भी हो सकते हैं। इस बारे में संबंधित विभाग से विचार विमर्श करके उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।

(iv) आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को नक्सली क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों/आश्रम शालाओं में निवासरत विद्यार्थियों, विशेष कर बालिकाओं की सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि पूर्व में राज्य में बालिकाओं के साथ अनाचार की कुछ

21.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

घटनाएं घटित हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने 1242 कन्या छात्रावासों में महिला होमगार्ड होने की जानकारी दी है जो अच्छी बात है किन्तु नक्सली क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों/आश्रम शालाओं में वे उपलब्ध नहीं हैं और महिला कार्यकर्ता को ही चौकीदार बनाया गया है। यह जांचा जाए कि क्या यह व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से ठीक से काम कर रही है। छात्रावासों/आश्रम शालाओं में 500 शौचालय और इस वर्ष 200 छात्रावासों/आश्रम शालाओं की बाउंड्री वाल बनाने की जानकारी दी गई है। विभाग को सभी छात्रावासों/आश्रम शालाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालय, स्नानागार और बाउंड्री वाल बनानी चाहिए ताकि बच्चों, विशेष कर बालिकाओं को शौच, स्नान आदि के लिए बाहर न जाना पड़े और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(v) बैठक में हुई चर्चा में यह जानकारी भी दी गई है कि राज्य में 561 छात्रावास एवं आश्रम शालाएं स्वयं के भवन में संचालित न होकर सामुदायिक भवनों में संचालित है जबकि 100 संस्थाएं किरायें के भवनों में चल रही हैं। इन संस्थाओं का स्वयं का भवन न होने से वहां पर निवासरत छात्र–छात्राओं को उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं जैसे– पेयजल, शौचालय, स्नानागार आदि की उपलब्धता की जांच विभाग द्वारा की जाए और कमियों को दूर किया जाए।

(vi) एकलव्य आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के समय यह भी देखा जाए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चे भी उनमें प्रवेश पा सके और पढ़–लिखकर आगे बढ़ सकें।

(vii) राज्य में नक्सली गतिविधियों को रोकने एवं जनजातियों के विकास हेतु विभिन्न उपायों पर चर्चा में विभाग के सहायक आयुक्तों की ओर से कई सुझाव आये हैं। इनमें नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को शिक्षित करने हेतु अच्छे स्कूलों को खोलने, बड़े हॉस्टलों की व्यवस्था करने, शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने, गांवों में नक्सलियों से सुरक्षा प्रदाने करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की भूमिका पुनः बहल करने जैसी बाते सम्मिलित हैं। आदिवासी उपयोजना की धनराशि का सही ढंग से एवं पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस संबंध में दिए गए सुझावों पर कार्रवाई की जाए।

(viii) चूंकि राज्य के अधिकांश कृषक, विशेष कर अनुसूचित जनजाति के कृषक पुरातन पद्धति से खेती करते हैं अतः उत्पादन भी कम होता है। उन तक कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभाग की सहायता से उन्नत बीजों और खेती के नए तरीकों का प्रचार–प्रसार किया जाना व उन्हें बड़ी संख्या में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके और कृषक समृद्ध हो सके। उन्हें केवल धान की खेती करने से विमुख करके बहुफसलीय खेती की ओर प्रवृत्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों के और अधिक विस्तार की आवश्यकता है। साथ ही फसल बीमा जैसी योजनाओं के दायरे में लाया जाना चाहिए।

(ix) बैठक में दी गई जानकारी के आधार पर आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं और जनजातीय लोगों के विरूद्ध अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज अपराधों की संख्या में विगत 3 वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इनकी रोकथाम हेतु राज्य सरकार को शीघ्र आवश्यक उपाय करने चाहिए। आयोग ने बैठक में दी गई विगत 3 वर्षों की जानकारी के आधार पर यह भी पाया की न्यायालयों में दर्ज मामलों में

01.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सजा की दर काफी कम है और न्यायालयों में बड़ी संख्या में (778) मामले निर्णय हेतु लंबित हैं। जांच हेतु पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या भी 147 बतायी गई है जो कि अधिक है। अधिनियम में जांच हेतु समय 60 दिन कर दिया गया है। यदि गवाह दबाव या भय के कारण पक्ष द्रोही हो जाए तो आरोपी को सजा नहीं मिल पाती अतः गवाहों को सुरक्षा प्रदान किया जाना जरूरी है। यह भी देखा जाए कि विशेष लोक अभियोजक गंभीरतापूर्वक इन मामलों में सक्रिय भागीदारी लें क्योंकि कई मामलों में वे न्यायालय में उपस्थित नहीं होते। लापरवाही बरतने वाले अभियोजको को पैनल से हटा दिया जाए। ऐसे मामलों, जिनमें आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है, की समीक्षा कर ऊपरी न्यायालयों में अपील भी की जाए। आयोग द्वारा यह सलाह भी दी गई कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के विभिन्न प्रावधानों को दर्शाने वाला बोर्ड/होर्डिंग राज्य के सभी थानों, बस स्टैण्डों, रेल्वे स्टेशनों, कलेक्टर कार्यालय परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(x) आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत पर चर्चा में आयोग के माननीय अध्यक्ष ने कहा कि यह अच्छी योजना है और सुझाव दिया कि यह योजना देवगुड़ी के साथ ही अनुसूचित जनजातियों के अन्य पूजा स्थलों जैसे सरना स्थलों आदि पर भी लागू की जाए। सरना स्थल साल के पेड़ों का एक समूह होता है जिसका उरांव समाज की पूजा पद्धति में विशेष महत्व है। अन्य जनजाति समुदायों हेतु भी इस योजना का विस्तार उचित होगा।

(xi) आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजे वायरलेस संदेश में राज्य के पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभिन्न जिलों की जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी बैठक में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया था किन्तु बैठक में केवल विभाग के आयुक्त उपस्थित हुए हैं जिन्होंने पूर्व निर्धारित अन्य बैठक/कार्यशाला के कारण अन्य अधिकारियों के उपस्थिति न हो पाने की जानकारी बैठक में ही दी है। आयोग के माननीय अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लिया है उचित होता यदि राज्य सरकार की तरफ से आयोग को पूर्व में ही यह जानकारी दे दी जाती। यद्यपि आयुक्त ने विभाग से संबंधित मूलभूत आंकड़े बैठक में दिए हैं तथापि विस्तार से चर्चा एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं इनमें आदिवासी क्षेत्रों में अनुभव की जाने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। इस संबंध में आयोग द्वारा भविष्य में बैठक ली जाएगी।

(xii) आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, छ.ग. शासन द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि आदिवासी उपयोजना की विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत कमिटेड लायबिलिटी के रूप में उसे जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से रु. 3078.00 लाख, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अधोसंरचनात्मक कार्यो सहित कमिटेड लायबिलिटी के रूप में रू. 63,561.82 लाख की राशि प्राप्त होनी है जिसके लिए सहायता चाही गई। आयोग ने अपेक्षा कि जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

बैठक के अंत में सचिव एवं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, छ.ग. शासन ने आयोग का माननीय अध्यक्ष को मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद दिया और आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

21.06.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi